भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3610
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विशेष कर और प्रशुल्क संबंधी छूट

3610. श्री अनुराग शर्माः
श्री रेबती त्रीपुराः
श्री संतोष कुमारः
श्री विजय कुमार दूबेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए इच्छुक आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विशेष कर और प्रशुल्क संबंधी छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बिहार, उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): संसद में दिनांक 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत बजट, 2019 के बजट भाषण के पैरा 111 में यह प्रस्ताव किया गया था कि आर्थिक वृद्धि और 'मेक इन इंडिया' में तेज़ी लाने के उद्देश्य से सरकार नवीन और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे सेमी कंडक्टर फेबरीकेशन (एफएबी), सोलर फोटोवोल्टिक सैल, लिथियम स्टोरेज बैटरियों, सोलर इलैक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्प्यूटर सर्वरों, लेपटॉप आदि में बड़े-विनिर्माण कारखानों की स्थापना करने के लिए पारदर्शी प्रतियोगी बोली के माध्यम से वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने की योजना शुरु करेगी और उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 35 क घ के अंतर्गत निवेश संबंधित कर छूट और अन्य अप्रत्यक्ष कर लाभ उपलब्ध कराएगी।

****